

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

क्रमांक: एसडीओ/कोर्ट/2024/189
मुकदमा नंबर 101/2024
ऑनलाईन नंबर: 2024/

दिनांक :31.05.2024

आदेश

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक/प3(2)राज.6/2003 पार्ट 104 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.09.1956 की धारा 131, 132 व 136 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में रोही ग्राम चक इन्दपालसर हीरावतान पटवार मण्डल इन्दपालसर सांखलान में रास्ते के लिये समर्पित की गई भूमि को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने के प्रस्ताव तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ से प्राप्त होने पर खाता संख्या 01 में दर्ज खसरा नंबर 56/8 तादादी 0.0875 हैक्टेयर में रास्ते के लिये समर्पित भूमि की किस्म परिवर्तन करते हुए गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैरमुमकिन के रूप में खसरा नम्बर सहित दर्ज किया जायेगा। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबंदी में अलग से खसरा नम्बर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैरमुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार खाता संख्या 01 में दर्ज खसरा नंबर 56/8 तादादी 0.0875 हैक्टेयर भूमि जो गैर मुमकिन रास्ते के लिए प्रस्तावित की गई है को गैरमुमकिन रास्ता के रूप में नामान्तरकरण के जरिये राजस्व रिकार्ड में लालस्याही से अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।
नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

क्रमांक: सम/190
प्रतिलिपि:-तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को पालानार्थ प्रेषित है।



उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

दिनांक : 31.05.2024

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

